न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 08/22 दायरा दिनांक 10.06.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

सुरेश कुमार शिवहरे पुत्र ओंकारलाल उम्र 54 वर्ष जाति कलाल निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. पहलवानसिंह पुत्र हरभजन जाति सहरिया निवासी समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. राधेश्याम पुत्र हरभजन जाति सहरिया निवासी समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. बासमती पत्नि पहलवान जाति सहरिया निवासी समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. रामभरोसी पत्नि राधेश्याम जाति सहरिया निवासी समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए रीडविद धारा 151 सी.पी.सी.
वास्ते–श्रीमान न्यायालय के आदेश की अवमानना (अवज्ञा) हेतु अप्रार्थीगण को दण्डित किये जाने वावत्

निर्णय दिनांक– 12.07.2024

उपस्थित, प्रार्थी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
अप्रार्थीगण की ओर से – एकपक्षीय

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 607/1215 रकबा 1.03 बीघा ग्राम समरानियां तहसील शाहावाद में स्थित है, इस आराजी की मूलखातेदार मथरी बेवा पहलवान जाति कलाल निवासी समरानियां रही है, इस आराजी पर के 12 गुणा 15 फिट भाग पर वर्ष 2009 में अप्रार्थीगण ने फूस की झोंपडी बनाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया था, जिस पर मूलखातेदार मथरी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक दावा 35/09 उनवान मथरी बनाम पहलवान वगैरा धारा 183,188 आर.टी.एक्ट के तहत श्रीमान न्यायालय में पेश किया था, जिसे श्रीमान न्यायालय ने दिनांक 27.05.2010 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आराजी से बेदखल कर कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। वाद के डिक्री हो जाने के पश्चात वादी/डिक्रीदार मथरी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2010 की पालना हेतु ईजराय प्रकरण 01/11 श्रीमान न्यायालय में पेश किया, इस ईजराय के जैरकार रहते मथरी ने उक्त विवादित आराजी का विक्रय प्रार्थी के हक में कर मौके पर दखल तथा कब्जा संभला दिया। क्रय के आधार पर प्रार्थी उक्त इजराय प्रकरण 01/11 में न्यायालय की अनुज्ञा से पक्षकार बन गया और दिनांक 30.12.2011 को [illegible] की दिनांक 27.05.2010 की पालना में आराजी खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.03 बीघा पर से अप्रार्थीगण को बेदखल [illegible] अप्रार्थीगण को पाबन्द कर दिया गया। इसके बावजूद [illegible] 31.03.2014 को प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:17:27 IST
Reason: SelfAttested

12.07.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी में बनी फूस की टापरी के स्थान पर एक कच्चा कातलापोश घर बनाकर अवैध कब्जा कर रहना प्रारंभ कर दिया है। प्रार्थी के रोकने व मना करने पर अप्रार्थीगण धमकी देते हैं कि ऐसे न्यायालय के आदेश हमने बहुत देखे हैं, इस इलाके में सहरिया जाति के लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड सकता है हमारी सरकार है हमारा एम.एल.ए. है, तुम कुछ नहीं कर सकते और हमें ज्यादा परेशान किया तो धारा 3 एस सी एस टी के झूंठे मुकदमें में फंसवाकर तुम्हारी जमानत भी नहीं होने देंगे। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2010 पालना दिनांक 30.12.2011 की अवज्ञा कर बेदखल किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द होने के बावजूद दिनांक 31.03.2014 को प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 607/1215 रकबा 1.03 बीघा में बनी टापरी के स्थान पर एक कातलापोश कच्चे घर का निर्माण कर लिया है और इस घर में निवास करने लगा है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की श्रेणी में आकर विधि अनुसार दण्डनीय है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा पारित व्यादेश की अवज्ञा का दोषी ठहराया जाकर कारावास से दण्डित फरमाया जावे और अप्रार्थीगण की सम्पत्ति कुर्क की जाकर प्रार्थी को हुई मानसिक क्षति तथा वाद व्यय के रूप में 50,000 रूपये बतौर प्रतिकर दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी जर्ये वकील उपस्थित आये, जिन्हे जबाव प्रस्तुत किये जाने हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु कोई जबाव पेश नहीं किया गया और दिनांक 20.05.2024 को अप्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण वकील के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी सुरेश के बयान कराये गये और दस्तावेज निर्णय दिनांक 27.05.10 प्रदर्श 1 डिक्री प्रदर्श 2, आर्डरशीट प्रदर्श 3, दरख्वास्त इजराय प्रदर्श 4, पालना आदेश प्रदर्श 5,6,10 पालना रिपोर्ट प्रदर्श 7 व 8, प्रार्थनापत्र आदेश 1–10 सीपीसी प्रदर्श 9, पालना रिपोर्ट प्रदर्श 11 व 12, जमाबंदी प्रदर्श 13, नक्शा प्रदर्श 14, गिरदावरी प्रदर्श 15 तथा मौका रिपोर्ट प्रदर्श 16 व 17 पेश किये गये। प्रार्थी वकील की वहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा संख्या 607/1215 रकबा 1.03 बीघा स्थित ग्राम समरानिया प्रार्थी के खातेदारी की है, जिस पर अप्रार्थीगण को प्रदर्श 2 डिक्री की पालना में दिनांक 30.12.11 को प्रदर्श 12 के जरिये कब्जा दिया जाना साबित है। प्रार्थी का कथन है कि डिक्री की पालना में बेदखली के बावजूद अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी में एक कच्चा कातलापोश घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 05.10.20 प्रदर्श 17 से प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी पहलवानसिंह ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2010 की पालना में बेदखली तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द होने के बावजूद विवादित आराजी में एक कातलापोश घर बनाकर पुनः कब्जा कर लिया है, अप्रार्थी पहलवानसिंह का उपरोक्त कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है तथा शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई अवमानना किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:17:27 IST
Reason: SelfAttested

.07.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी विरूद्व अप्रार्थी कम 1 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 पहलवानसिंह पुत्र हरभजन जाति सहरिया निवासी समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान की सम्पत्ति कुर्क किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

12.07.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:17:27 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner